रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No D (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 1978/कार्तिक 1, 1900

No 308] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 1978/KARTIKA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 507(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिट्टी के तेल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 7 के अन्तर्गत आता है उसने उत्पाद-शुल्क से, जितना थर्मामीटर के पन्द्रह सेन्टीग्रेड पर 388 रुपये 75 पैसे प्रति किलो-लीटर से अधिक हो छूट देती है :

परन्तु यह तब जबकि—

(1) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रदरूप में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा मिट्टी का तेल, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप-नियम (2) के अधीन परिष्करणी (रिफाइनरी) के रूप में घोषित परिसर में, लाइनर अलकाइल बेंजीन या भारी अलकाइल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित है, और

(2) जहां ऐसा उपयोग ऐसे मिट्टी के तेल के उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है।

2. यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप-नियम (2) के अधीन परिष्करणी (रिफाइनरी) के रूप में घोषित किसी परिष्करणी द्वारा प्राप्त मिट्टी के तेल की मात्रा में से, कोई मात्रा ऐसे उपयोग के पश्चात् उस परिष्करणी को वापिस कर दी जाती है जिससे मिट्टी का तेल मद 6 से 11क तक के अन्तर्गत आने वाले तैयार उत्पाद-शुल्क माल के उत्पादन के लिए और आगे प्रसंस्करण के लिए या सम्मिश्रण या दोनों के लिए प्राप्त किया गया था, तो इस अधिसूचना के अधीन छूट योग्य मिट्टी के तेल की मात्रा नियत करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी मात्रा को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

[सं. 189/78 के.उ.शु.—फा. सं 84/2/78-के.उ.शु. 3]

अनन्त राम, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1978.

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts kerosene, falling under item No. 7 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 388.75 per kiloliter at fifteen degrees of Centigrade thermometer :

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such kerosene is intended for use in the premises declared under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, to be a refinery, in the manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate ; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production of such kerosene, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

2. For the purpose of determining the quantity of kerosene entitled to exemption under this notification, if out of the quantity of kerosene received by any refinery declared as such under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, any quantity after such use is returned to the refinery from which the kerosene was received for further processing or blending or both for production of finished excisable goods falling under Items Nos. 6 to 11A, such quantity shall be excluded.

[No. 189/78-CE—F. No. 84/2/78-CX. 3]

ANANT RAM, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978